

# असाधारगा EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित





**村o** 181] No. 1811 नई विल्ली, सोमवार, जून 11, 1979/ज्येष्ठ 21, 1901

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11, 1979/JYAISTHA 21, 1901

इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकल्प के रूप में रखा जा सर्क। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## नांबहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवह्म पक्ष)

नई दिल्ली, 11 जुन, 1979

# मधिस्**य**भाएं

सावभाविक 364 (म):--मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स ऐक्ट. 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित इसी ग्रिधिनियम की आरा 3 की उपधारा (1) द्वारा वी गई प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस भाधसूचना के द्वारा नीचे कम संख्या 1 से 2 नक उल्लिखिन व्यक्तियों को विभाखाएलनम पोर्ट की पोर्ट ग्राफ ट्रस्टी में दुरुटी के रूप में नियक्त ग्रीर कम संख्या 3 में 5 तक उल्लिखित व्यक्तियों की उक्त भोई के चने गये ट्रस्टी के रूप में ग्रधिसूचित करती हैं :---

- व्यापार निगम, विशाखाप्रसनम् ।
- ा. महाप्रबंधक, खनिज ग्रीर धातु भारतीय खनिज ग्रीर धातु व्यापार निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के प्रतिमिधि ।
- 2. ग्रध्यक्ष भीर प्रबंध निवेशक, हिन्दूस्तान शिपयाई लिमिटेड विशास्त्रापमनम् ।
- हिन्दस्तान शिपयाई लिमिटेड के प्रिमिधि ।
- 3. श्रीके ग्रम दक्त
- विशाखापसमम भेम्बर ग्राफ कामर्स के प्रतिनिधि।
- श्री सी०वी० सीतारामस्त्रामी
- फेडरेशन ग्राफ ग्रान्ध्र प्रदेश चेम्बर बाफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री, हेदराबाद के प्रतिनिधि ।

- श्रीके०सी० साथुर
- इंडियन नेशनल शिपद्मोनर्स एसी-सिएशन के प्रतिनिधि।

ग्रीर भारत सरकार के नौवहन भौर परिवहन मंत्रालय की भाधमूचना मंख्या सा॰का॰नि॰ ३०३ (ई) दिनांक ३१ मार्च, 1979 में निम्नलिखित भौर आगे संशोधन करती है :--

उक्त मिश्रमूचना में कम संख्या 10 के बाद मौर उसमें दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर भीचे लिखी क्रमसंख्या ग्रीर प्रविष्टियां जोड़ी जाए:---

- "11 महाप्रबंधक, खनिज और धात् भारतीय खनिज और घातु स्थापार व्यापार निगम, विशाखापत्तनम ।
  - निगम लिमिटेड, विशासापरानम के प्रतिनिधि ।
- 12 प्रध्यक्ष और प्रबंध निवेशक, हिन्द्स्तान शिपयाई लिमिटेड, विशाखापसनम् ।
- हिस्दूस्ताम शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि ।
- 13. श्रीके० एस० दत्त
- विशासापसनम चैम्बर बाफ कामर्स के प्रतिनिधि ।
- 14. श्री सी०वी० सीतारामस्त्रामी
- फेडरेशन धाफ धानध्र प्रदेश केम्बर माफ कामसे एंड इण्डस्ट्री, हैवराबाद के प्रतिनिधि।
- 15 श्रीके० मी० मायुर
- इंडियन नेशनल शिपद्मोनर्स एसो-सिएशन के प्रतिनिधि।

[फा०सं० पी टी बी → 38/78]

# MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

#### (Transport Wing)

New Delhi, the 11th June, 1979

### NOTIFICATIONS

G.S.R. 364(E).-In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Numbers 1 and 2 below as Trustees on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam and notifies the names of the persons mentioned against Serial Numbers 3 to 5 below as elected to be Trustees on the said Board, namely:-

- and Metals Trading Corporation, Visakhapatnam.
- 1. General Manager, Minerals Representing the Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited.
- Director, Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.
- 2. Chairman and Managing Representing the Hinduscan Shipyard Limited.
- 3. Shri K.S. Dutt
- Representing the Vizagapatnam Commerce. Chamber of Visakhaputnam.
- 4. Shri C.V. Sitaramaswamy
- Representing the Federation of Andhra Pradesh Chamber of Commerce and Industry, Hyderabad.
- 5. Shri K.C. Mathur
- Representing the Indian Natio-nal Shipowners' Association.

and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 303 (E), dated the 31st March, 1979, namely:-

In the said notification, after Serial Number 10 and the entries retating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely:-

- "11. General Manager, Mi- Representing the Minerals and nerals and MetalsTrading Corporation, Visakhapatnam.
- of India Limited. 12. Chairman and Managing Representing the Hindustan
- Director, Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.
  - Shipyard Limited.

Metals Trading Corporation

- 13. Shri K.S. Dutt
- Representing the Vizagapatnam Chamber of Commerce. Visakhapatnam,
- 14. Shri C.V. Sitaramaswamy
- Representing the Federation of Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry, Hyderabad.
- 15. Shri K.C. Mathur
- Representing the Indian National Shipowners' Association."

[F. No. PTB-38/78]

सा०का०नि० 365 (म) :---मेजर पोर्ट ट्रस्टम ऐक्ट, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के नाथ पठित उसी मधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार इस प्रधिसूधना के द्वारा नीचे कम संख्या 1 ग्रीर 2 पर उल्लिखित व्यक्तियों को कांडला पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ग्राफ ट्रस्टीज के में नियुक्त भीर क्षम संख्या 3 से 6 तक उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के चुने हुए ट्रस्टी के रूप में ग्रिधिसूचित करती है :---

 मोत्रीय प्रबंधक (पश्चिम) भार- भारतीय खाद्य निगम का प्रति-तीय खाद्य निगम, बम्बई। निधि ।

- 2. जेजीय प्रशंबक, उत्तर क्षेत्र, इंक्यिन भाषल कारपोरेशन निभिटेश, मई विस्त्री ।
- इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिनिधि ।
- श्री इन्द्रवदम प्राणलाल शाह

गुजरात चेम्बर आफ कामसी इंडस्ट्री, प्रहमवाबाद का प्रति-निधि।

- 4. श्रीएच०एस० वस्हाया
- नार्थमं इंडियन चैन्चर प्राफ कामर्स एण्ड इण्डस्टी, चंडीगढ का प्रति-निधि।
- श्रीएच०मो० वोरा
- इंडियम नेपानल शिपद्मोनर्स एसी-सिएकन का प्रतिनिधि।
- श्री कियोर चाई सी० थोरा
- गोधीधाम नगरपालिका का प्रति-निधि ।

ग्रीर भारत सरकार में नौबहुन ग्रीर परिवर्शन मंत्रालय (परिवर्शन कक्षा) की घिष्ठसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 300 (ई) दिलांक 31 मार्च, 1979 में निम्निजिति और आगे संसोधन करती है:--

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 9 के बाद और इसमें दी गई प्रवि-िटमों के स्थान पर नीचे लिखी कम संख्या और प्रविष्टियां जोडी जाएं:-

- "10 क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम) भारतीय बाच निगम का प्रति-निधि । भारतीय खाच निगम, बम्बई ।
- ा 1. क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर क्षेत्र. इंडियन भागल कारपोरेशम लिमिटेड नई विल्ली।
- इंडियन बायल कार्योदेशन शिमिटेड का प्रतिनिधि ।
- 12. श्री इन्द्रवदन त्राणलाल माह
- गुजरात चैम्बर ग्राफ कामर्स एंड इप्हस्टी, प्रक्रमचाबाद का प्रति-निधि ।
- श्री एच०एस० बल्हाया
- तार्थमं इंडियन चैम्बर झाफ कामर्स एंड इण्डस्टी, चंडीगढ़ का प्रति-
- 14. श्री एक भो व पोरा
- इंडियन नेशनल शिपमोनसं एसो-सिएशन का प्रतिनिधि ।
- 15. श्री किसोरभाई सी० वीरा
- गोधीधाम नगरपालिका का प्रति-निधि ।

[फा॰सं॰पीटी की-41/78]

G.S.R. 365(E), -- In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Numbers 1 and 2 below as Trustees on the Board of Trus. tees of the Port of Kandla and notifies the names of the persons mentioned against Serial Numbers 3 to 6 below as elected to be Trustees on the said Board, namely:-

- 1. Zonal Manager (West), Representing the Food Corpora-Food Corporation of India, tion of India. Bombay.
- 2. Regional Manager, Northern Region, Indian Oil Corporation Limited, New Delhi.
- Representing the Indian Oil Corporation . Limited.
- 3. Shri Indravadan Pranlal Representing the Gujrat Cham-Shah
  - bers of Commerce and Industry, Ahmedabad.
- 4. Shri H.S. Balhaya
- Representing the Northern Indian Chambers of Commerce and Industry, Chandigarh,

ciation."

[F. No. PTB-42/78]

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

फोचीस ।

प्रसिनिधि ।

*				
5. Shri H.O. Vora	Representing the Indian National Shipowners Association.	10-श्रीए० माधवन	इंडियन चेस्बर खाफ शामर्स, कोचीन के प्रतिनिधि ।	
6. Shri Kishorebhay C. Vora	Representing the Gandhidham Municipality.	11. श्री ए० एम० मोहुम्मद उस्मान	एर्नाक्कलम चेम्बर आफ कामर्स,	
and makes the following furth	er amendment in the notification		एर्नाकुलम के प्रतिनिधि ।	
	in the Ministry of Shipping and to G.S.R. 300 (E), dated the 31st	12. श्री जो० जे <b>० स</b> प्तर	कोधीन वैस्वर ग्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीका कोधीन के प्रतिनिधि।	
In the said notification, after relating thereto, the following	er Serial Number 9 and the entries Serial Numbers and entries shall	13. श्रीकेट चेलिहा	६ंडियन नेम्ननल शिपद्योगर्स एसो- सिएमन के प्रतिनिधि ।"	
be inserted, namely:			[का०सं० पी टी बी-42/78]	
Food Corporation of India, Bombay.	Representing the Food Cor- poration of India	CSD 245 (m) r		
<ol> <li>Regional Manager, Northern Region, Indian Oil Corporation Limited, New Delhi.</li> </ol>	Representing the Indian Oil Corporation Limited.	G.S.R. 366 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section the Central Jovernment hereby appoints the persons mentioned against Serial Number 1 below as Trustee on the Board of		
12. Shri Indravadan Pranlal Shah	Representing the Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Ahmedabad.	Trustees of the Port of Cochin and notifies the names of the persons mentioned against Serial Numbers 2 to 5 below as elected to be Trustees on the said Board, namely:—		
13. Shri H.S. Balhaya	Representing the Northern Indian Chamber of Commerce and Industry, Chandigarh.		-Representing the Cochin Ship- yard Limited.	
14. Shri H.O. Vora	Representing the Indian Natio- nal Shipowners Association.	3 61 1 4 5 6 61	-Representing the Indian Chamber of Commerce, Cochin.	
15. Shri Koshorebhay C Vora	Representing the Gandhidham Municipality."  [F. No. PTB-41/78]	3. Shri A.M. Mohammed - Usman	Representing the Ernakulam Chamber of Commerce Erna-	
	[1. 140. 1111-11/10]	A Plant C. F. A. T.	kulam.	
	बर पोर्ट ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1963 (1963 (6) के साथ पठित उक्त मधिनियम	4. Shri G.J. Asher	Representing the Cochin Chamber of Commerce and Industry, Cochin.	
हुए केन्द्रीय सरकार इस प्रधिसूचना	ारा धी गई शक्तियों का प्रयोग करते द्वारा नीचे कम संख्या 1 पर उल्लिखित	5. Shri K. Chelliah	Representing the Indian National Shipowners' Asso-	
	क्ष दूस्टीज के दूस्टी के रूप में भीर		clation.	
	ष्यिक्तियों को उक्त बोर्ड के चुने गये	and makes the following furth	er amendment in the notification	
ट्रस्टी के रूप में भ्रधिसूचित करती		of the Government of India i	n the Ministry of Shipping and	
<ol> <li>मध्यक्ष भीर प्रबच्च निवेशक,</li> <li>कोचीन क्षिपयाई लिमिटेब,</li> </ol>	कोचीन क्षिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि ।	Transport (Transport Wing) No. March, 1979, namely :—	o. G.S.R. 304 (E), dated the 31st	
क्षेत्रीन		In the said notification, after	or Serial Number 8 and the entries	
2. श्री ए० माधवन	इंडियन चैम्बर घाफ कामर्स, कोचीम के प्रतिनिधि ।	relating thereto, the following be inserted, namely:	Serial Numbers and entries shall	
3. श्री ए०एम० मोहम्मद उस्मान	एर्नाकुलम चैम्बर घाफ कामसंग् एर्नाकुलम के प्रतिनिधि ।	"9. Chairman and Managing Director, Cochin Shipyard Limited, Cochin.	-Representing the Cochin Shipyard Limited.	
4. श्री जी० जे० घशर	कोचीन चेम्बर प्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के कोचीन का प्रतिनिधि	10. Shrì A. Madhavan	-Representing the Indian Chamber of Commerce,	
5. भी के० <b>वे</b> लिहा .	इंडियन नेजनल जिपभोनर्से एसो- सिएशन के प्रतिनिधि ।	11, Shri A.M. Mohammed	Cochin.	
	ार परिवहन मंत्रालय (परिवहन कक्ष) 304 (ई) दिनांक 31 मार्च, 1979	Usman	<ul> <li>Representing the Ernakulam Chamber of Commerce, Erna- kulam.</li> </ul>	
में निम्निकित संगोधन करती	<b>t</b> :— `	12. Shri G.J. Asher	-Representing the Cochin	
	:8 के बाद भीर उसमें दी गई प्रवि- म संक्या भीर प्रविष्टियां जोड़ी जाएं:⊷		Chamber of Commerce and Industry, Cochin,	
"9. <b>सस्यक्ष स्रो</b> र प्रसन्ध निदेशक कोचीन विषयार्थ लिसिटेड		13. Shri K. Chelliah	-Representing the Indian National Shipowners' Asso-	

सा० का० मि० 367( घ्र ):— मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1963 (1963 क्या 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित इसी प्रधितियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा दी गई ग्रामितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा नीचे अप संख्या 1 से 4 तक उल्लिखित व्यक्तियों को मद्रास पोर्ट के बोर्ड घ्राफ ट्रस्टीज के रूप में नियुक्त और अम संख्या 5 से 8 तक उल्लिखित व्यक्तियों की उक्स बोर्ड के जुने गये ट्रस्टी के रूप में प्रधिसूचित करती है:—

- कार्यकारी निवेशक, भारतीय नौबहन निगम लिमिटेड (लाइनर भीर पैसेंजर सर्विसेख) के प्रतिनिधि । भारतीय नौबहन निगम, वस्वई
- क्षेत्रीय प्रबंधक (विक्षण) भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि भारतीय खाद्य निगम, मद्रास
- महाप्रबंधक, खनिज और धातु व्यापार निगम खनिज और धातु व्यापार लिमिटेड के प्रतिनिधि । निगम लिमिटेड, मधास
- 4. प्रबंध निदेशक, मद्रास रिफायनरीज लिमिटेंड के मद्रास रिफायनरीज लिमिटेंड, प्रतिनिधि । मध्रास
- 3. श्री बलवन्त राय हिन्दुस्तान चैम्बर ग्राफ कामसं, मद्रास के प्रतिनिधि ।
- 6. सी विष्णु मोहन मद्रास चैम्बर प्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, मद्रास के प्रतिनिधि ।
- 7. भी बी॰ भार॰ दुजारी भाल इंडिया शिपसें काउंसिल के प्रतिमिधि ।
- 8. श्री के अ के सीतारामन मद्रास कस्टम, क्लियरिंग एंड शिपिंग एजेंट्स एसोसिऐशन मद्रास के प्रतिनिधि,

भौर भारत सरकार में नौबहन भौर परिवहन मंझालय (परिवहन पक्ष ) की धर्धिसूचना संख्या सा⊲ का ० नि० 302 (ई) में निम्नलिखित भौर धार्गे संशोधन करती हैं:—~

उक्त अधिसूचना में कम संख्या 9 के बाद और उसमें वी गई प्रवि-ब्दियों के स्थानपर नीचे लिखी कम संख्या और प्रविष्टियों जोड़ी जाएं:--

- "10. कार्यकारी निवेशक, भारतीय तौबहन निगम लिमिटेड (लाइनर भौर पैसेंजर सर्विक्षेत्र ) के प्रतिनिधि । भारतीय नौबहन निगम, अम्बई
- भोत्रीय प्रबंधक (दक्षिण) भारतीय खाध निगम के प्रतिनिधि ।
   भारतीय खाद्य निगम, महास
- 12. महाप्रबंधक, खिनज ग्रीर धातु व्यापार निगम खिनज ग्रीर धातु व्यापार निगम सिमिटेड के प्रतिनिधि । सिमिटेड, मद्रास
- 13. प्रबंध निदेशक, मद्रास रिफायनरीज सिमिटेड के मद्रास रिफायनरीज लिमिटेड, प्रतिनिधि । मद्रास
- 14. भी बशवरत राय हिन्तुस्तान चैम्बर घाफ कामसे, महास के प्रतिनिधि।
- 15. श्री विष्णु भोहम । महास चैम्बर ग्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, महास के प्रतिनिधि ।

16. भी बी० भार० दुजारी भास देखिया शिपर्स काउंसिल के प्रतिनिधि ।
 17. श्री के० जे० सीतारामन भद्रास कस्टम, क्लियरिंग एंड शिर्पिंग एजेंट्स एसोसिएशन मद्रास के प्रतिनिधि ।

[फा०सं० पी० टी० बी०-43/78]

G.S.R. 367(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Numbers 1 to 4 below as Trustees on the Board of Trustees of the Port of Madras and notifies the names of the persons mentioned against Serial Numbers 5 to 8 below as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

- Executive Director (Liners —Representiand Passenger Services) Corporation of India, Bombay.
  - -Representing the Shipping Corporation of India Limited.
- Zonal Manager (South), Food Corporation of India, Madras.
- -Representing the Food Corporation, of India.
- General Manager, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Madras.
- Representing the Minerals and Metals Trading Corporation Limited.
- Managing Director, Madras Refinerles Limited, Madras.
- -Representing the Madras Refineries Limited.
- 5. Shri Balwantrai
- —Representing the Hindustan Chamber of Commerce, Madras.
- 6. Shri Vishnu Mohan
- Representing the Madras
   Chamber of Commerce and
   Industry, Madras.
- 7. Shri B.R. Dujari
- -Representing the All India Shippers' Council.
- 8. Shri K.J. Seetharaman
- —Representing the Madras Customs, Clearing and Shipping Agents, Association, Madras,

and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 302(E), dated the 31st March, 1979, namely:—

In the said notification, after Serial Number 9 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely:—

- "10. Executive Director (Liners and Passenger Services), Shipping Corporation of India, Bombay.
  - -Representing the Shipping Corporations of India Limited.
- Zonal Manager (South),
   Food Corporation of India; Madras.
- -Representing the Food Corporation of India.
- General Manager, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Madras.
- Representing the Minerals and Metals Trading Corporation Limited.

13. Managing Director, Madras Refineries Limited, Madras.	Refineries Limited.	<ol> <li>क्षेत्रीय निवेशक,</li> <li>भारतीय नौजहन निगम,</li> </ol>	भारतीय नौवहुस निगम लिमिडेड के प्रतिनिधि ।	
14. Shri Balwantrai	Representing the Hindustan Chamber of Commerce, Madras.	कलकत्ता । 14. श्री बी० एच० सिंघानियां	इंडियन चैम्बर श्राफ कामर्स, कलकसा के प्रतिनिधि ।	
15. Shri Vishnu Mohan	<ul> <li>Representing the Madras Chamber of Commerce and Industry, Madras.</li> </ul>	15. श्री राविन राहा	बंगाल नेशनल चैम्बर ध्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता के प्रति-	
16. Shri B.R. Dujari	-Representing the All India Shippers' Council.	16. श्री <b>ए</b> स० पूरी	निधि । बंगाल चैम्बर धाफ कामर्स एँड	
17. Shri K.J. Seetharaman	-Ropresenting the Madras Customs, Clearing and Shipping Agents Association,	17. श्री संजय जैन	इंडस्ट्री कलकत्ता के प्रतिनिधि । ग्राल इंडिया क्षिपर्स काउंसिल के	
	Madras." [F. No. PTB-43/78]	18. श्री भोला बोस	प्रतिनिधि । कलकत्ता निगम के प्रतिनिधि ।	
		19- श्री भान्तिवस् सेन	कलकत्ता क्लियरिंग एजेंट्स एसो-	
	जर पोर्टट्रस्ट्स एक्ट, 1963 (1963 (6) के साथ पठित उक्त श्रधिनियम	1 छ- व्या बासान्स्आत्,चन	क्लकता विलयास्य एक्ट्स एसा- सि <b>एश</b> न, कलकत्ता के प्रतिनिधिः।	
की बार्रा 3 की उपधारा (1) 🗊	रादी गई शक्तियों का प्रयोग करते	20. श्रीएम० एस० वर्ग	फेडरेशन भ्राफ इनलैंड वाटर ट्रांस-	
	के द्वारा नीचे कम 1 ग्रौर 2 पर पोर्ट के बोर्ड ग्राफ ट्रस्टीज के ट्रस्टी	(गाजीपुरी )	पोर्ट एशोसिएशत श्राफ इंडिया कलकत्ता के प्रतिनिधि ।''	
के रूप में नियुक्त और कम संख्या उक्त बोर्ड के चुने गये ट्रस्टी के रू	3 से 9 पर दिये गये व्यक्तियों को प में ग्रक्षिसूचित करती हैं :		[फा॰ सं॰ पी॰ टी॰ भी॰ -44/78]	
1. जनरल मैनेजर, हिस्त्या रिफायनरी, हिस्त्या ।	इंडियन ग्रायल कारपोरेशन लिमि- टेड के प्रतिनिधि ।	G.S.R. 368—(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Numbers 1 and 2 below as Trustees on the Board of Trustees of the Port of Calcutta and notifies the names of the persons mentioned against Serial Numbers 3 to 9 below as elected to be Trustees on the said Board,		
<ol> <li>क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय नौबहुत निगम, कलकता ।</li> </ol>	भारतीय नौषहन निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि ।			
3. श्री थी० एच० सिघानिया	इंडियन चैम्धर श्राफ कामर्स, कलकत्ता के प्रतिनिधि ।	namely: —		
4. श्री राविन राहा	बंगाल नेशनल चेम्बर ग्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता के प्रति	<ol> <li>General Manager, Haldia Refinery, Haldia.</li> </ol>	Representing the Indian Oil Corporation Limited.	
5. श्री एस <b>०</b> पुरी	निधि । बंगाल चैम्बर ग्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता के प्रति-	<ol> <li>Regional Director, Shipping Corporation of India, Calcutta.</li> </ol>	Representing the Shipping. Corporation of India Ltd	
	क्षरहुत क्षणकरता के आता- निधि ।	3. Shri B.H. Singhania	Representing the Indian Chamber of Commerce,	
6. श्री संजय सैन	मास इंडिया शिपर्स काउंसिल के प्रतिमिधि ।		Calcutta.	
7. श्री मोला बोस	कलकत्ता निगम के प्रतिनिधि ।	4. Shri Rabin Raha	Representing the Bengal National Chamber of Com-	
8. श्री मास्तिवत सेन	कलकत्ता क्लियरिंग एजेंट्स एसो- सिएशेम, कलबत्ता के प्रति-		merce and Industry, Calcutta.	
	निधि ।	5. Shri S. Puri	Representing the Bengal Chamber of Commerce	
9. श्रीएम॰ एस० खाः (गाऔपुरी)	फेडरेशन, धाफ इनलैंड वाटर ट्रास- पोर्ट एसोसिएशन श्राफ इंडिया, कलेकला के प्रतिमिधि ।		and Industry, Calcutta.	
	र परिवहन मंस्रालय (परिवहन पक्ष )	6. Shri Sanjoy Sen	Representing the All India Shippers' Council.	
1979 में झौर घागे संशोधन करली		7. Shri Bhola Bose	Representing the Corporation of Calcutta.	
	प्रा 11 के बाद और उसमें थी गई इत कम संख्या भीर प्रविष्टिया जोड़ी	8. Shir Santibrato Sen	Representing the Calcutta Clearing Agents Associa- tion, Calcutta.	
"12. जनरल मैनेजर, हस्त्विमा रिफायनरी, हस्त्विमा ।	इंडियम झायल कारपोरेगन निमिटेड के प्रतिनिधि ।	9. Shri M.S. Khan (Ghazipuri)	Representing the Federation of Inland Water Transport Association of India, Calcutta.	

and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 301(E), dated the 31st March, 1979, namely:-

In the said notification, after Serial Number 11 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely :--

"12. General Manager,
Haldia Refinery,
Haldia.

Representing the Indian Oil Corporation Limited.

13. Regional Director, Shipping Corporation of India. Calcutta.

Representing the Shipping Corporation of India Ltd.

14. Shri B.H. Singhania

Representing the Indian Chamber of Commerce, Calcutta.

15. Shri Rabin Raha

Representing the Bengal National. Chamber of Commerce an I Industry, Calcutta.

16, Shri S. Puri

Representing the Bengal Chamber of Commerce and Industry, Calcutta,

17. Shri Sanjoy Sen

Representing the All India Shippers' Council.

18. Shri Bhola Bose

Representing the Corporation of Calcutta.

19. Shir Santibrato Sen

Representing the Calcutta Clearing Agents Association. Calcutta.

20. Shri M.S. Khan (Ghazipuri)

Representing the Federation of Inland Water Transport Association of India. Calcutta."

[F. No. PTB.-44/78]

सा॰ का॰ नि॰ 369 (म):--मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित इसी मिश्रिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस प्रधिसूचना के द्वारा बम्बई पोर्ट के बोर्ड ग्राफ ट्रस्टीज में तीचे कम संख्या 1 से 3 पर लिखे अथिनतयों को बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त भीर फ्रम संख्या 4 से 8 पर सिखे व्यक्तियों को उक्त मण्डल के भुने हुए स्ट्रस्टी के रूप में भ्रश्लिम् करती **8**:---

निगम मौबहुन भारतीय लिमिटेड, बम्बई ।

 उपाध्यक्ष ग्रीर प्रबंध निदेशक, भारतीय नौबहुन निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि ।

2. क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम), भारतीय खाद्य निगम, बम्बई। भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि।

3. प्रबंध निवेशक (विपणन प्रभाग) इंडियन भायल कारपोरेशम लिमिटेड, बम्बई ।

इंडियन आयस कारपोरेशन लिमि-देड के प्रतिनिधि ।

भी ए० एस० कासलीवाल

महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कामर्स, बम्बई के प्रतिनिधि ।

5. श्री जे० एच० दोवी

ग्राल इंडिया शिपर्स काउंसिल के प्रतिनिधि ।

श्री श्री० एम० पारेख

भाग इंडिया सेलिंग बेसेल्म इंडस्ट्री एसोसियेणन के प्रतिनिधि ।

7. श्रीए० पाल कम क्विका

न≠वर्ष कस्टम हाखस एजेस्ट्स एमो-सियेशन, यम्बई के प्रतिनिधि । महाबम्बई नगर निगम के प्रति-

8. श्री विलास शंकर मंजरकर

निधि । भीर भारत सरकार में नौबहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष )

की भक्षिभूचना संख्या सा० का० नि० 305 (ई), दिनांक 31 मार्च, 1979 में भीर आगे मिम्नलिखित संशोधन करती है:---

उक्त प्रधिसूचना में काभ संख्या 9 के आराद ग्रीर उसमें वी गयी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित कम संख्याओं भौर प्रविष्टियों को जोड़ा जाए, ग्रद्यात :---

"10. उपाध्यक्ष भौर प्रबंध निवेशक, भारतीय नौबहुन निगम लिमि-टेड, बस्बर्ड ।

भारतीय नौबह्न निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि ।

11. शेकीय प्रबंधक (पश्चिम), भारतीय साव्य निगम, बम्बई। भारतीय बाव्य निगम के प्रतिनिधि।

इंडियन भायल कारपोरेशन लिमिटेड, बस्बई।

12. प्रबंध निवेशक (विपणन प्रभाग), इंडियन प्रायस कारपोरेशन निमिटेड के प्रतिनिधि ।

13. श्री ए० एस० कासलीवाल

महाराष्ट्र चैम्बर काफ फामर्स, बम्बई के प्रतिनिधि ।

14. श्री जै० एच० दोशी

ग्राल इंडिया शिपर्स कार्नसिल के प्रतिनिधि ।

15. श्री ष्ठी० एम० पारेख

न्नास इंडिया सेलिंग वैसेल्स इंडस्ट्री एसोसियेशन के प्रतिनिधि ।

16. श्री ए० पाल फर्नान्डीज

बम्बई कस्टम हाउस, एजेन्द्रस एसोसियेशन, बम्बई के प्रतिनिधि

17. श्री विलास शंकर मंजरेकर

महाश्रम्बद्द नगर निगम के प्रति-निधि।"

[फा॰ नं॰ पी॰ टी॰ **मी०-45/78**] विनेश कुमार जैम, संयुक्त सचिव

G.S.R. 369-(E): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Number 1 to 3 below as Trustees on the Boards of Trustees of the Port of Bombay and notifies the names of the persons mentioned gainst Serial Numbers 4 ot 8 below as elected to be Trustees on the said Board, namely:---

1. Vice-Chairman and Managing Director, Shipping Corporation of India Limited, Bombay.

Representing the Shipping Corporation of India Ltd.

Zonal Manager (West), Food Corporation of India Bombay.

Representing the Food Corporation of India.

3. Managing Director, (Marketing Division), Indian Oil Corporation Limited., Bombay.

Representing the Indian Oil Corporation Limited.

4. Shri A.H. Kasliwal

Representing the Maharahtra Chamber of Commerce,

Bombay.

5. Shri J.S. Doshi

Representing the All India Shippers' Council.

<ol> <li>Shri D.M. Parekh</li> <li>Shri A. Paul Fernandes</li> </ol>	Representing the Federation of All India Sailing Versels Industry Associations.	12. Managing Director, (Marketing Division), Indian Oil Corporation, Limited, Bombay,	Representing the Indian Corporation Limited.	
7. Shri A, Paul Fernandes	Representing the Bombay Customs House Agents Association, Bombay.	13. Shri A.S. Kasliwal	Representing the Maha- rashtra Chamber of Com- merce, Bombay.	
8. Shri Vilas Shankar Manjrekar.	Representing the Municipal Corporation of Greater Bombay.	14. Shri J.H. Doshi	Representing the All India Shippers' Council.	
and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and . Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 305(E), dated the 31st March, 1979, namely:—		15. Shri D.M. Parekh	Representing the Federation of All India Sailing Vessels Industry Associa- tions.	
In the said notification, after Serial Number 9 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and and entries shall be inserted, namely—		16. Shri A. Paul Fernandes	Representing the Bombay Custom House Agents Association, Bombay.	
"10. Vice Chairman and Managing Director, Shipping Corporation of India Ltd., Bombay.	Representing the Shipping Corporation of India Ltd.	17. Shri Vilas Shankar Manjrekar	Representing the Municipal Corporation of Greater Bombay."	
<ol> <li>Zonal Manager (West), Food Corporation of India, Bombay.</li> </ol>	Representing the Food Corporation of India.		[F. No. PTB-45/78] Sd/- D. K. JAIN, <i>Joint Secy</i> .	